रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 1972/कार्तिक 5, 1894
No 14] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 1972/KARTIKA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October 1972

S.R.O. 17-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 16-E, dated the 25th October, 1972, the Central Government hereby declares every service connected with the supply of electricity in the State of Uttar Pradesh to be a service of vital importance to the community.

[F. No. 2(25)/72/D(GS-I).]

P. KRISHNAMURTI, Jt. Secy.

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1972

का० नि० आ० 17-(ई)—सशस्त्र बल (आपात काल ड्यूटि) अधिनियम, 1947 (1947 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 16—ई, तारीख 25 अक्तूबर 1972 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत के प्रदाय से संबंधित प्रत्येक सेवा को समुदाय के लिए अत्याधिक महत्व की सेवा घोषित करती है ।

[का० सं० 2(25)/72/डी(जी०एस०-I)]

पी० कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972